MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

A Partnership for Collaboration, Growth and Excellence

MAJOR SD SINGH UNIVERSITY

(Established under U.P. ActNo. 12 of 2018)

Uttar Pradesh, India

Mother Nirmala Foundation

NGO

Uttar Pradesh, India

This Memorandum of Understanding (Mou) is entered into
To promote mutual cooperation and collaboration between
Major SD Singh University and **Mother Nirmala Foundation**.

DATE OF SIGNING

24 March 2026

10रु. COURT FEE Rs.10
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

Mother Nirmala Foundation

समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन (MoU) आज दिनांक **24 मार्च 2026** को निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है:

प्रथम पक्षः

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई, मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश (जिसे इसके बाद 'प्रथम पक्ष' कहा जाएगा, जो संदर्भ के अनुकूल होने पर अपने उत्तराधिकारियों और असाइनी को शामिल करेगा)।

एवं

द्वितीय पक्षः

मदर निर्मला फाउंडेशन, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश (जिसे इसके बाद 'द्वितीय पक्ष' कहा जाएगा, जो संदर्भ के अनुकूल होने पर अपने उत्तराधिकारियों और असाइनी को शामिल करेगा)।

1. **प्रस्तावना (Preamble)**

   मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो शैक्षणिक सेवाओं के लिये देश भर में प्राख्यात है जिसकी राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई छात्रों में सामाजिक चेतना, नेतृत्व क्षमता और सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मदर निर्मला फाउंडेशन उत्तर प्रदेश एक गैर–सरकारी सामाजिक संगठन (NGO) है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण और समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। दोनों पक्ष साझा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति और समाज कल्याण के कार्यों को गति देने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु सहमत हुए हैं।

2. **उद्देश्य (Objectives)**

   इस अनुबन्ध – ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थाओं के संसाधनों, ज्ञान और जनशक्ति (विशेषकर NSS स्वयंसेवकों) का सकारात्मक उपयोग करके जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य चेतना, बाल अधिकार संरक्षण एवं सामुदायिक विकास आदि गतिविधियों का प्रभावी संचालन करना है।

3. **सहयोग के मुख्य क्षेत्र (Areas of Cooperation)**

   प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, सामुदायिक विकास, सामाजिक कल्याण एवं जन–जागरूकता के क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करने हेतु सहमत हैं। इस सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी:

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का संयुक्त आयोजन।

Programme Coordinator
NSS
Major S.D. Singh University
Fatehgarh, Farrukhabad

Mother Nirmala Foundation
Secretary
Farrukhabad (U.P.)

- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, NSS स्वयंसेवकों एवं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों की सहभागिता से सामुदायिक गतिविधियाँ संचालित करना।
- सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान, सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयुक्त आयोजन करना।
- सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण एवं सामुदायिक कल्याण से संबंधित संयुक्त अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करना।
- विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सामुदायिक समस्याओं पर शोध परियोजनाएँ करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।
- समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- **नशा मुक्ति जागरूकता (De-addiction Awareness):** समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियानों, परामर्श सत्रों (Counselling) और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
- **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियानः** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, और व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- **महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकासः** महिलाओं और बालिकाओं के लिए आत्मनिर्भरता, कौशल विकास (Skill Development), कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य व मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) पर कार्यशालाएं आयोजित करना।
- **सड़क सुरक्षा अभियान (Road Safety Campaign):** आम जनमानस और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हेलमेट व सीटबेल्ट के प्रयोग, गति सीमा, और सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशालाओं व रैलियों का आयोजन करना।
- **पर्यावरण संरक्षणः** क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण जागरूकता, और प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चलाना।
- **बाल अधिकार एवं बाल कल्याण (Child Rights & Child Welfare):** बच्चों के मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जन–जागरूकता फैलाना, बाल श्रम (Child Labour), बाल विवाह, बाल शोषण और बाल भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ विशेष अभियान व रैलियां संचालित करना, तथा समाज के वंचित बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना।
- **शिक्षा एवं साक्षरताः** समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र, बाल शिक्षा जागरूकता और आवश्यक शिक्षण सामग्री का वितरण।

Programme Coordinator
NSS
Major S.D. Singh University
Fatehgarh, Farrukhabad

Mother Nirmala Foundation
Secretary
Farrukhabad (U.P.)

- **आपदा प्रबंधन एवं जन जागरूकता:** किसी भी आपातकालीन स्थिति या राष्ट्रीय आपदा के समय राहत कार्यों में पारस्परिक सहयोग और समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ जन जागरूकता रैलियों व नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।

- **भिक्षावृत्ति उन्मूलन, चिन्हांकन एवं पुनर्वास अभियान (Eradication of Beggary Identification & Rehabilitation):** निम्नांकित गतिविधियों से भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं पुनर्वास का आयोजन।

  दोनों पक्ष आपसी सहमति से ऐसे अन्य कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ भी संचालित कर सकते हैं, जो इस MoU के उद्देश्यों के अनुरूप हों तथा शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण एवं सामुदायिक विकास में योगदान दें।

- **वृद्धजन सेवा एवं सहायता (Elderly Care & Assistance):** वृद्धाश्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, भावनात्मक सहयोग और उनके कल्याण के लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन करना।

4. पक्षों के उत्तरदायित्व (Responsibilities of the Parties)

4.1 प्रथम पक्ष NSS इकाई मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रूखाबाद उ0प्र0 के उत्तरदायित्वः

- सामाजिक गतिविधियों, शिविरों और सर्वेक्षणों के सफल संचालन के लिए अनुशासित NSS स्वयंसेवकों (छात्रों) और संकाय समन्वयकों (Faculty Coordinators) की भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- विश्वविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रारंभिक बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक स्थान और बुनियादी सुविधाएं (यदि आवश्यक हो) प्रदान करना।
- समाज कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को विश्वविद्यालय के वार्षिक शैक्षणिक और NSS कैलेंडर के अनुसार संयोजित करना।

4.2 द्वितीय पक्ष (मदर निर्मला फाउंडेशन) के उत्तरदायित्वः

- जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और उन क्षेत्रों/गांवों की पहचान करना जहां सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य शिविरों के लिए डॉक्टरों, चिकित्सा टीमों, दवाइयों और अन्य आवश्यक तकनीकी या सामाजिक संसाधनों की व्यवस्था करना।
- क्षेत्र (Field) में काम करने के दौरान छात्रों/स्वयंसेवकों को आवश्यक मार्गदर्शन, सुरक्षात्मक वातावरण और field support प्रदान करना।
- संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र (Certificates) प्रदान करना।
- समझौता ज्ञापन में प्रदर्शित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु NSS स्वयंसेवकों के साथ कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वन करना तथा विशेष आवश्यकतानुसार अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वन करना।

5. वित्तीय व्यवस्था (Financial Arrangements)

- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली सामान्य गतिविधियों और स्वयंसेवकों की सेवाओं के लिए कोई अनिवार्य वित्तीय बाध्यता नहीं होगी।

Programme Coordinator
NSS
Major S.D. Singh University
Fatehgarh, Farrukhabad

Mother Nirmala Foundation
Secretary
Farrukhabad (U.P.)

- विशिष्ट परियोजनाओं, विशेष शिविरों या बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए आवश्यक बजट और खर्चों का निर्धारण दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लिखित रूप में अलग से तय किया जाएगा।

6. **अवधि एवं समापन (Duration and Termination)**

- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तिथि से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति से इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- कोई भी पक्ष तीन महीने पहले लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि उस समय चल रही किसी भी गतिविधि या छात्र कार्यक्रम के सुचारू समापन में बाधा न आए।

7. **विवाद निवारण (Dispute Resolution)**

इस समझौते के क्रियान्वयन, व्याख्या या संचालन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद को दोनों पक्षों के प्रमुखों (विश्वविद्यालय के प्राधिकृत अधिकारी / NSS समन्वयक और मदर निर्मला फाउण्डेशन के अध्यक्ष / सचिव) द्वारा आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

पक्षों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatories):

विलेख के साक्ष्य के रूप में, दोनों पक्षों ने ऊपर उल्लिखित तिथि और वर्ष को अपने–अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रथम पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर : P. Singh

नाम : डॉ0 पुष्पेन्द्र यादव

पद : एसोसिएट प्रोफेसर / कार्यक्रम समन्वयक NSS

विभाग / संस्था : मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उ0प्र0 209749

द्वितीय पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर : [signature] 24/03/2026

नाम : डॉ0 जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी

पद : सचिव

विभाग / संस्था : मदर निर्मला फाउंडेशन, एमएनएफ बिल्डिंग कैम्पस प्लाट सं0 4 / 63, कटरा नुनहाई स्ट्रीट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 209625

ईमेल : mothernirmalafoundation@gmail.com

मो0 : 8825294704, 9044212261

दिनांक : 24.03.2026

स्थान : फर्रुखाबाद उ0प्र0

साक्षी (Witnesses):

1. हस्ताक्षर: [signature] : डॉ0 कुन्दन मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उ0प्र0 209749
2. हस्ताक्षर: मनी मिश्रा : मणि मिश्रा, सदस्य, मदर निर्मला फाउंडेशन, फर्रुखाबाद उ0प्र0

P. Singh
Programme Coordinator
NSS
Major S.D. Singh University
Fatehgarh, Farrukhabad

Mother Nirmala Foundation • Farrukhabad (U.P.) • Secretary